रजिस्टर्ड नं०-एऽडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 13 फरवरी, 2016 ई० (माघ 24, 1937 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

18 नवम्बर, 2016 ई०

सं0 375/23-23(2012-2015)स्था0नि0स0—जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर में ग्रामीण क्षेत्र में ठीकेदारी का कार्य किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, अण्डर टेकिंग संस्थाओं आदि को विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है, जो विज्ञप्ति संख्या 3433/21-195(85-88), दिनांक 04 सितम्बर, 1987 द्वारा प्रचलित है, की धारा 10 में (अ) (ब) (सं) अधोलिखित संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं। इसके प्रकाशन के उपरान्त पूर्व में प्रचलित धारा 10 (अ) (ब) (स) निरस्त/निष्प्रभावी हो जायेगी तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी :

संशोधन

पूर्व प्रचलित उपविधि	संशोधन हेतु प्रस्तावित उपविधि
अ–प्रथम श्रेणी के ठेकेदार के लिये लाइसेन्स शुल्क प्रत्येक वर्ष रु0 500.00 होगा	अ–प्रथम श्रेणी के ठेकेदार के लिये लाइसेन्स शुल्क प्रत्येक वर्ष रु0 1,500.00 होगा।
ब–द्वितीय श्रेणी के लिये लाइसेन्स शुल्क रु0 250.00 प्रतिवर्ष होगा	ब–द्वितीय श्रेणी के लिये लाइसेन्स शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष होगा।
स–तृतीय श्रेणी के ठेकेदार के लिये लाइसेन्स शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष होगा	स–तृतीय श्रेणी के ठेकेदार के लिये लाइसेन्स शुल्क रु0 500.00 प्रतिवर्ष होगा।

सं0 376/23-30(2012-2015)स्था0नि0स0—जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2)(घ) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान लाइसेंस शुल्क लेने से सम्बन्धित उपनियम बनाया गया है, जो विज्ञप्ति संख्या 1219/21-73(97-2000)स्था0नि0 दिनांक 09 अप्रैल, 2000 द्वारा

46 डि.ग.–10A

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,गाजीपुर

लाइसेंस फीस की दरों में संशोधन किया गया है। पुनः उक्त उपविधि के प्रस्तर-8 में लाइसेंस फीस की दरों निम्नांकित विवरणानुसार संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं। जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी :

संशोधन

प्रस्तर-8 प्रत्येक लाइसेन्स कर्ता को निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा

क्र0सं0	नाम व्यवसाय	वर्तमान दर	प्रस्तावित संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़ा, परचून की सम्मिलित दुकान पर	100.00	150.00
	केवल कपड़ा की फुटकर दुकान पर	100.00	150.00
2	**(अ) कपड़ा की थोक दुकान**	**200.00**	**300.00**
	(ब) केवल परचून की दुकान पर	**50.00**	**75.00**
3	**गल्ला किराना की थोक दुकान पर जिसमें गल्ला 10 कुन्टल से अधिक हो**	**200.00**	**300.00**
4	**(क) गल्ला किराना की फुटकर दुकान पर जिसमें गल्ला 10 कुन्टल से कम हो**	**100.00**	**150.00**
	(ख) किराना की थोक दुकान पर	150.00	225.00
	(ग) किराना की फुटकर दुकान पर	75.00	115.00
5	सोना, चांदी या उनसे बने हुये आभूषण की दुकान पर	250.00	375.00
6	सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरी की दुकान पर	150.00	225.00
7	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी आयुर्वेदिक, देशी, यूनानी, होमियोपैथिक दवायें तथा डाक्टरी इन्स्ट्रूमेन्ट्स पट्टी, गाज, रूई, दूध के डिब्बे आदि की दुकान पर	200.00	300.00
	(क) उपरोक्त की पृथक्-पृथक् पर	100.00	150.00
	(ख) मेडिकल प्रैक्ट्रीशनर	100.00	150.00
8	होटल/ढाबा की दुकान पर	100.00	150.00
9	(क) पुस्तक कापी की दुकान पर	75.00	115.00
	(ख) पुस्तक कापी की दुकान पर यदि स्टेशनरी का भी सामान हो	75.00	115.00
10	(क) लोहे की दुकान बड़ी जिसमें इमारती लोहा, इन्जन, पानी वाला पाइप या उससे संबंधी सामान, कटीले तार, चारा मशीन, बाल्टी, जाल, तारजाली, (खिड़की) दरवाजा, सटर आदि	250.00	375.00
	(ख) लोहे की छोटी दुकान पर जिसमें उपरोक्त के अलावा ताले, चाबी, रेती, हथौड़ा एवं नट बोल्ट, कील कब्जे, हैन्डील, सिटकनी आदि छोटे सामान हों	200.00	300.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

Scanned with OKEN

1	2	3	4
		रु0	रु0
11	(क) चाय, नमकीन, पान की सम्मिलित दुकान पर	100.00	150.00
	(ख) केवल चाय, पकौड़ी नमकीन की दुकान पर	75.00	115.00
12	केवल पान की दुकान पर जिसमें बीड़ी, सिगरेट, सलाई आदि हो	50.00	75.00
13	सरबत, लस्सी या सोड़ा वाटर की दुकान पर	100.00	150.00
14	घी या दूध की दुकान पर	75.00	115.00
15	बिना आरा मशीन लकड़ी की दुकान पर	150.00	225.00
16	जलाने वाली लकड़ी की दुकान पर	100.00	150.00
17	जलाने वाली कोयले की दुकान पर	100.00	150.00
18	फेरी की दुकान पर	50.00	75.00
19	टीन के वक्स, बर्तन, अल्मूनियम के सामान, टीन की चादरें आदि की दुकान पर	100.00	150.00
20	स्टेनलेस स्टील के बर्तन आदि की दुकान पर	150.00	225.00
21	सिलाई मशीन व टाईप राईटर तथा उससे सम्बन्धित दुकान पर	100.00	150.00
22	कपड़े की सिलाई मशीन की दुकान पर, जिसमें एक मशीन चलती हो	75.00	115.00
23	कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	100.00	150.00
24	घड़ियों की दुकान, जहां घड़ियां बेची जाती हों	150.00	225.00
25	घड़ियों की केवल मरम्मत के दुकान पर	100.00	150.00
26	रेडियो की दुकान, जहां रेडियो बेची जाती है	150.00	225.00
27	रेडियो की दुकान, जहां रेडियो की मरम्मत की जाती हो	100.00	150.00
28	जूते की दुकान पर	100.00	150.00
29	फर्नीचर की दुकान जिसमें सोफासेट, मसहरी, कुर्सी टेबुल, चौकी, लकड़ी के दरवाजे पावा आदि हों।	150.00	225.00
30	पेट्रोल पम्प पर	1,000.00	1,500.00
31	(क) साइकिल, रिक्शा या साइकिल के पार्ट्स टायर, ट्यूब आदि की बिक्री की दुकान पर	150.00	225.00
	(ख) साइकिल, रिक्शा मरम्मत की दुकान पर	50.00	75.00
32	फुटकर मिट्टी का तेल, डीजल, गोबिल आयल, बेचने की दुकान पर	100.00	150.00
33	कृषि सम्बन्धित मशीनरी तथा औजार की दुकान पर	200.00	300.00
34	फल तथा सब्जियों की दुकान पर	50.00	75.00
35	बाजे की दुकान पर जिसमें हर प्रकार के बाजे बेचे जाते हों	100.00	150.00
36	बिजली की मोटरे, पंखा, बल्ब, तार, लैम्प आदि की दुकान पर जहां बिजली से सम्बन्धित हर प्रकार के सामान (उपकरण) बेचे जाते हैं।	150.00	225.00
37	लाउडस्पीकर तथा उससे साम्बन्धित समान रखने वाले दुकान पर	100.00	150.00
38	लाउड्री की दुकान पर	50.00	75.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

1	2	3	4
		रु0	रु0
39	बाल काटने (सैलून) की दुकान पर	50.00	75.00
40	समस्त.प्रकार की बीज की दुकान जिसमें बीज भण्डार सम्मिलित हो	100.00	150.00
41	कार, जीप, ट्रक के पार्ट्स की बिक्री की दुकान पर	250.00	375.00
42	कार, जीप, मोटर साइकिल, ट्रक, टैक्ट्रर की मरम्मत की दुकान पर	150.00	225.00
43	रासायनिक खाद की दुकान, जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	100.00	150.00
44	अफीम, गांजा, भांग, चरस व ताड़ी की दुकान पर	500.00	750.00
45	हथियार (अग्नेयास्त्र) अथवा किसी भी अन्य प्रकार की दुकान पर	500.00	750.00
46	हर प्रकार के टायर ट्यूब की दुकान पर	200.00	300.00
47	खेल खेलने के काम आने वाले सामान की दुकान पर	100.00	150.00
48	पत्थर व पत्थर के बने सामान की दुकान पर	100.00	150.00
49	क्राकरी की दुकान पर	100.00	150.00
50	हर प्रकार के वार्निस, पेन्ट, तारपीन के तेल बगैरह की दुकान पर	100.00	150.00
51	टेन्ट, शामियाना, तम्बू कनाट, छोलदारी आदि (टेन्ट हाउस) की दुकान पर जो किराये पर दिये जाते हैं।	300.00	450.00
52	रस्सी हर किस्म जैसे नारियल, सन, बेत, सूतरी, की बनी हुई टाट पट्टी, बोरा, मूज, खस, निवाड़, खस व खस का बना हुआ समान की दुकान	100.00	150.00
53	समस्त प्रकार का बना हुआ चूना, सफेद सीमेंट, बालू, मोरम, मार्बल, चीनी मिट्टी रंगीन, सफेद संगमरमर, कीरोडी, चूना पाउडर, सफेद खड़िया, रामराज, हर तरह के गेरू आदि की दुकान पर	200.00	300.00
54	बिसाती वाना की दुकान पर	50.00	75.00
55	रेडीमेड कपड़े की दुकान पर	100.00	150.00
56	टेलीविजन अथवा उससे सम्बन्धित सामान व पार्ट की बिक्री की दुकान पर	200.00	300.00
57	टेलीविजन के मरम्मत की दुकान पर	150.00	225.00
58	धर्मकांटा	250.00	375.00
59	कबाड़ी की दुकान पर	150.00	225.00
60	सूर्ती तम्बाकू की फुटकर दुकान पर	100.00	150.00
61	चूड़ी की दुकान पर (थोक या फुटकर)	50.00	75.00
62	अण्डा, चाट, पकौड़ी की दुकान पर	50.00	75.00
63	फोटोग्राफर, फोटो स्टेट की दुकान पर	200.00	300.00
64	दरी कालीन की थोक व्यवसाय की दुकान पर	250.00	375.00
65	डेंटिंग पेंटिंग वर्क शाप की दुकान पर	500.00	750.00
66	**सिनेमा अस्थाई, (टूरिज्म टाकिज)**	**500.00**	**750.00**
67	सिनेमा स्थाई	1,000.00	1,500.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,गाजीपुर

1	2	3	4
		रु0	रु0
68	जनरल स्टोर की दुकान पर	75.00	115.00
69	राइस मील व दाल मील	1,000.00	1,500.00
70	ब्रेकरी (पावरोटी) की दुकान पर	500.00	750.00
71	खोवा की दुकान (आढ़त)	500.00	750.00
72	बर्फ बनाने की मशीन पर	250.00	375.00
73	रुई धुनाई मशीन पर	100.00	150.00
74	आरा मशीन (जिमसें लकड़ी की चिराई) होती है	500.00	750.00
75	शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)	2,000.00	3,000.00
76	हड्डी चमड़ा गोदाम	1,000.00	1,500.00
77	प्रति हथकरघा	200.00	300.00
78	खराद मशीन (लेथ मशीन)	500.00	750.00
79	बैंड पार्टी (रोड़ लाइट)	—	200.00
80	मोबाइल की दुकान जिसमें मोबाइल बेची जाती हो	—	200.00
81	मोबाइल की दुकान जिसमें मोबाइल की मरम्मत की जाती है	—	150.00
82	गैस एजेन्सी	—	500.00
83	मोटर साकिल एजेन्सी	—	1,000.00
84	चार पहिया एजेन्सी (कार जीप आदि)	—	2,000.00
85	ट्रैक्टर टैम्पो एजेन्सी आदि	—	2,000.00
86	अनाज व अन्य प्रकार के गोदाम	—	500.00
87	ट्रक व भारी वाहन की एजेन्सी	—	4,000.00
88	किसी भी प्रकार के बड़े कारखाना/फैक्ट्री	—	4,000.00
89	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय जो किसी बाइलाज से सम्बन्धित न हो	100.00	150.00

सं0 377/23-22(2012-2015)स्था0नि0स0—जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2)(ड) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मोबाइल टावरों आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई गयी है, उक्त प्रस्तावित उपविधि विज्ञापन संख्या 177/जि0पं0गा0-2013-2014, दिनांक 16 जुलाई, 2013 द्वारा स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित है, जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी :

उपविधि

1—यह उपविधि मोबाइल टावरों एवं अन्य व्यवसायिक टावरों आदि संचालन एवं नियंत्रण उपविधि कहलायेगी।

2—यह उपविधि जिला पंचायत, गाजीपुर के समस्त ग्रामीण अंचल की वर्तमान और भविष्य में लगने वाले टावरों को नियंत्रित करेगी।

3—आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1—परिभाषायें—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की (यथा संशोधित अधिनियम, 1994) धारा 2 (10) यथापरिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

2–टावरों का अर्थ टावर से है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से हो रहा है–

(1) कोई भी व्यक्ति/प्रतिष्ठान का मालिक अथवा साझेदार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में टावर तब तक नहीं लगा सकेगा जब तक उसने निर्धारित शुल्क जिला पंचायत में जमा करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया हो

(2) किसी टावर के मालिक को इस आधार पर छूट नहीं प्रदान की जायेगी कि उसने अन्य किसी निकाय अथवा संस्था अथवा सरकारी विभाग से अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। यदि टावर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत हैं तो उसे प्रत्येक दशा में जिला पंचायत से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

3–इस उपविधि के अधीन लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति व पड़ोस के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिये निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा :

(क) टावर पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से आठ मीटर ऊंचाई से कम का नही होगा।

(ख) साधारण शोरगुल रोकने के लिये टावर के हाते में शोरगुल रोकने वाले यंत्र (साइलेंसर) को जहां आवश्यक हो लगाना चाहिये।

(ग) टावर की देख-रेख हेतु लगाये गये मजदूर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा।

(घ) टावर हेतु आवश्यक भवन आदि का फर्श की नालियां पक्का होना चाहिये तथा उनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत होती रहे। प्रयोग किये हुये पानी को बाहर निकालने के लिये ऐसी नालियां बनायी जायं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपेक्षित हो।

(ङ) लाइसेंस अधिकारियों के सन्तोषानुसार टावर का अहाता सभी समय स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद और संतोषजनक अवस्था में रखना होगा।

(च) ऐसे व्यक्ति को टावर में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो।

(छ) शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा या स्वच्छता की दृष्टि से अपनायी गयी नीतियों से सम्बन्धी शासनादेश स्वतः लागू समझा जायेगा।

4–अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होगा।

5–उपविधि में वर्णित दण्ड के अतिरिक्त किसी भी धारा के उल्लंघन करने पर लाइसेंस अधिकारी को लाइसेंस को रद्द अथवा निलम्बित करने का अधिकार होगा।

6–लाइसेंस अधिकारी के निर्णय से छुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत के यहां अपील कर सकेगा और अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा और उक्त दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

7–लाइसेंसिंग की अवधि एक वर्ष की होगी जो कि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

8–प्रत्येक टावर के प्रोपराइटर को मु0 रु0 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। तभी वह जिला पंचायत से स्वीकृति पाने का हकदार होगा।

9–केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य कोई विधि विहित संस्था के नियंत्रण हेतु लाइसेंस यदि कोई हो, से भिन्न यह लाइसेंस होगा।

10–इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिये कराना आवश्यक होगा, जिसमें उपविधि की धारा 8 में वर्णित दरें ही प्रभावी होंगी, 30 अप्रैल के पश्चात् रु0 100.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा, तभी नवीनीकरण किया जा सकेगा। विलम्ब की अवधि मई से प्रारम्भ होगी।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत गाजीपुर निर्देश देती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिवस के लये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास का भी दण्ड दिया जा सकता है।

सं0 378/23-31(2012-2015)स्था0नि0स0–जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2)(ड) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिमनी, ईट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सूर्खी भट्ठी आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है। जो विज्ञप्ति संख्या 116/21-101(97-2000), दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 द्वारा संशोधित कर प्रचलित है, की धारा 8 (अ) चिमनी ईट भट्ठा में पुनः संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणीस मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं। इसके प्रकाशन के उपरान्त पूर्व में प्रचलित धारा 8 (अ) निरस्त/निष्प्रभावी हो जायेगी तथा संशोधित उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू मानी जायेगी :

संशोधन

पूर्व पारित उपविधि	संशोधित उपविधि
8–शुल्क निम्नलिखित होगा– (अ) चिमनी ईंट भट्ठा रु0 2,500.00 वार्षिक	8–शुल्क निम्नलिखित होगा। (अ) चिमनी ईंट भट्ठा रु0 4,000.00 वार्षिक।

सं0 379/23-21(2012-2015)स्था0नि0स0–जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों या उसके तट से बालू मोरम, रेत या अन्य खनिजों मिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहन या पशुचालित वाहन तथा ट्रैक्टर चालित ट्रक, मिनी ट्रक, डम्फर, पशुगाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है। यह उपविधि दिनांक 14 अगस्त, 1976 से लागू है। जिसके शुल्क दरों में पूर्व में संशोधन किया गया है, जो उ0प्र0 गजट दिनांक 6 मार्च, 1999 में प्रकाशित है तथा वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान प्रचलित दर में पुनः जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उक्त उपविधि धारा 4 के अन्तर्गत दरों में पुनः संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं। इसके प्रकाशन के उपरान्त पूर्व में प्रचलित उपविधि की धारा 4 में शुल्क की दरें निरस्त/निष्प्रभावी हो जायेंगी तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी :

संशोधन

पूर्व पारित उपविधि	संशोधन हेतु प्रस्तावित उपविधि
1–पशुओं (गदहा, खच्चर, घोड़ा आदि) रु0 1.50 प्रति फेरा 2–बैल गाड़ी रु0 5.00 प्रति फेरा 3–छोटी नाव रु0 10.00 प्रति फेरा 4–बड़ी नाव रु0 20.00 प्रति फेरा 5–ट्रैक्टर ट्राली रु0 15.00 प्रति फेरा 6–ट्रक रु0 20.00 प्रति फेरा	1–पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी रु0 10.00 प्रति फेरी। 2–मानव चालित नाव रु0 20.00 प्रति फेरा। 3–ट्रैक्टर ट्राली रु0 50.00 प्रति फेरी। 4–ट्रक– (क) मिनी ट्रक (लाईट मोटर विहिकिल) रु0 100.00 प्रति फेरी। (ख) ट्रक (लाईट गुड्स विहिकिल) रु0 150.00 प्रति फेरी (6 चक्का)। (ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकिल) रु0 150.00 प्रति फेरी (10 चक्का या अधिक)।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

नितिन रमेश गोकर्ण,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0–46 हिन्दी गजट–भाग 3–2016 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।